न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०

राजस्व प्रा० पत्र सं० : 38/2019 (262/2013)

GCMS NO. : 2013/00031

-:: प्रार्थीया ::- बनाम -:: अप्रार्थीगण ::-

1. शांतिदेवी पत्नी बंशीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बैडकलां तहसील जैतारण जिला पाली जरिये आम मुख्त्यार मनोज पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रामावास तहसील जैतारण जिला पाली हाल जालना जिला जालना महाराष्ट्र।

बनाम

1. सरजुदेवी पत्नी नन्दकिशोर के का.मु.
   - 1/1. रामनिवास पुत्र नन्दकिशोर
   - 1/2. सुरेन्द्रकुमार पुत्र नन्दकिशोर
   - 1/3. कमलादेवी पुत्री नन्दकिशोर
   - 1/4. दुर्गादेवी पुत्र नन्दकिशोर
   - 1/5. प्रेमदेवी पुत्री नन्दकिशोर
   - 1/6. विमलादेवी पुत्री नन्दकिशोर
   - 1/7. चंद्रकला पुत्री नन्दकिशोर

   जातियान ब्राहम्ण निवासीगण बैडकलां तहसील जैतारण।
2. उपपंजीयन अधिकारी, पंजीयन कार्यालय जैतारण तहसील जैतारण जिल पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 23/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री प्रद्युमन श्रीमाली, अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय : **दिनॉकः 22/09/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एंव आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बेडकंला पटवार हल्का बेडकला तहसील जैतारण जिला पाली राज० की राजस्व सीमा में कृषि भूमि हैं , जिसमें सायला श्रीमती शांतिदेवी व गैरसायलान सं 0 1 एक लगायत 7 सात का संयुक्त रूप से 1/2, 1/2 हिस्से की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 525 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 537 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 556 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 649 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 661 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा आई हुई है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र पत्र के साथ पेश है। सायला श्रीमती शांतिदेवी वृद्ध महिला है तथा जो बीमार रहती है एंव वर्तमान में जालना महाराष्ट्र में निवास कर रही है एंव चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण अपने भतीजे पुत्र मनोज कुमार को अपनी ओर से आम मुखतीयार नियुक्त कर 500/- अक्षरे पॉच सौ रुपये के मुद्रांक पर आम मुख्तीयार नामा निष्पादित कर नोटरी पब्लिक जैतारण से तस्दीक करवा कर दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली

Scanned with CamScanner

12.12.2011 को गवाहान की साखें डलवा कर तहरीर व तकमील किया है। इसलिए अपने आम मुख्तीयारधार मनोज कुमार के मारफत उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् की न्यायालय में सादर प्रस्तुत है। आम मुख्तीयानामे की छाया प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र पत्र के पद सं 01 एक में वर्णित खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि में सायला श्रीमती शांतिदेवी का 1/2 हिस्सा है, और सायला उक्त कृषि भूमि की वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि का कोई भी बाई मिट्स एंड बाउण्ड के बंटवारा/विभाजन उक्त कृषि भूमि के खातेदारों के मध्य विधिक रूप से नहीं हो रखा है। वर्तमान में प्रार्थना पत्रग्रस्त कृषि भूमि सायला एंव गैरसायलान की संयुक्त रूप से सहहिस्सेदारी एंव सहखातेदारी की है। नक्शा ट्रेस साथ में पेश है। सायला श्रीमती शांतिदेवी अपने हिस्से की कृषि भूमि पर बैंक से ऋण लेकर भूमि को उपजाउ बनाना चाहती है। परंतु उक्त भूमि सायला एंव गैरसायलान की संयुक्त हिस्सेदारी एंव संयुक्त खातेदारी की होने से मौके पर बाई मिट्स एड बाउण्ड के बंटवारा/विभाजन न होने के कारण गैरसायलान को सायला द्वारा दिनांक 28-9-2013 को बैंक से ऋण लेने हेतु सहमति देने हेतु तथा भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु कहा गया तो गैरसायलान ने मना कर दिया तथा गैरसायलान ने उक्त दिनांक को सायला को एलानिया धमकी दी कि वे प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 में वर्णित संयुक्त हिस्सेदारी एंव खातेदारी की कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान कर देगे। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् बंटवारे हेतु श्रीमान् के समक्ष विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। गैरसायलान प्रार्थना पत्र के पद सं 01 में वर्णित कृषि भूमि जो सायला एंव गैरसायलान की संयुक्त हिस्से एंव संयुक्त खातेदारी की है, तथा मौके पर बाई मिट्स एंड बाउण्ड के विधिनुसार कोई विभाजन न होने के कारण गैरसायलान उक्त कृषि भूमि को बेचान बक्सीस व हस्तान्तरण करने को आमादा है। इसलिए बिना मिट्स एंड बाउण्ड के विभाजन करवाये बिना गैरसायलान उक्त संयुक्त खातेदारी एंव संयुक्त हिस्सेदारी की कृषि भूमि का बेचान बक्सीस व हस्तान्तरण आदि किसी अन्य को कर देते है तो इससे सायला को अपने अधिकारो से महरूम होना पडेगा। इसलिए उक्त विधि विरूद्ध कार्य करने से गैरसायलान को रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों दस्तावेजात् एव मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायला के पक्ष में बनता है। यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती सायला के हक हिस्से की आराजी पर कब्जा कर सायला को बेदखल कर उक्त भूमि पर उसे काश्त कापन मुतालिक कार्य नहीं करने दिया व उसका उपयोग उपभोग न करने दिया, तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी जिस[illegible] किसी भी कदर संभव नही है। इसलिये सुविधा का संतुल[illegible] में प्रमाणित है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र मय शपथ प[illegible] पेश कर निवेदन है कि- अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायला वि[illegible] आशय की जारी फरमाई जावे की सायला अपने खसरा नं. 525, 537, 556, 649, 661 कुल रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा शामलाती कब्जे काश्त की कृषिभूमि पर काबिज है, पर काश्त करें

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमें गैरसायलान स्वयं या उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट रिश्तेदार को दखलअंदाजी हस्तक्षेप बाधा, रोकटोक करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। अप्रार्थी संख्या 4, 6, 7 एवं 8 के विरूद्ध बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1,2,3 व 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। अप्रार्थी संख्या 1,2,3 व 5 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 का जबाब है कि इस फिकरे में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि के गैरसायलान संख्या 1 से लगातार 7 तक सभी खातेदार काश्तकार है और गैरसायलान संयुक्त रूप से मौके पर उक्त आराजी की कृषि भूमि में काश्त करते है। सायला का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है न ही 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि मालिकाना अधिकार है, क्योंकि सायल की शादी के बाद से लेकर आज तक कभी ग्राम बैडकलां में नहीं आई न ही काश्त किया न ही मौके पर कब्जा काश्त है। एक मात्र मालिकाना अधिकार गैरसायलान का ही है केवल मात्र गैरसायलान की खातेदारी कृषि भूमि को हड़पने की नियत से आधारहीन तथ्यों का उल्लेख करके प्रा.पत्र पेश किया गया जो कानूनी रूप से मेन्टीनेबल नहीं है। काबिल खारिज के है, जो मय खर्चे खारिज फरमावें। नकल नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी की फोटो प्रति जबाब प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है। जो जबाब प्रार्थना-पत्र का एक भाग माना जावें। प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या 2 का जबाब है कि इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन होने से गैरसायलान नामंजूर व अस्वीकार करते है। कानूनी रुप से आम मुखत्यार को पैरवी करने का अधिकार नहीं है। क्योकि पैरवी करने में सक्षम है। प्रार्थना-पत्र के पेरा सख्या 3 का जबाब है कि सायला शान्तिदेवी व गैरसायल सरजूदेवी के पिता स्वर्गीय श्री भोलाराम कई वर्षो पूर्व में फौत हो चुके है। जिसकी दिनांक सायला को भी मालुम नहीं है। स्वर्गीय भोलाराम के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था। केवल मात्र दो लड़किया ही पैदा हुई थी। भोलाराम के फौत होने के बाद जरिये फौतेदगी म्यूटेशन इसकी जगह इसकी धर्मपत्नि श्रीमति मोडीदेवी व दोनों पुत्रीया शान्ति देवी व सरजूदेवी के नाम से म्यूटेशन भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया है। जो केवल वारिस होने से ही सायला शान्ति देवी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया मौके पर कभी भी श्रीमति मोडीदेवी के मृत्यु होने के बाद इसका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया गया एवं इसके नाम की कृषि भूमि गैरसायल सरजूदेवी [illegible] देवी के नाम से दर्ज की गई शान्ति देवी का कब्जा काश्त [illegible] की शादी ग्राम रामावास निवासी बंशीलाल के साथ आज से करीबन [illegible] वर्ष पूर्व में हुई थी। शादी के बाद सायला शान्ति देवी अपने [illegible] के साथ जालना महाराष्ट्र में पिछले 60-65 वर्षो से वहीं रहते है। ग्राम रामावास कलां एवं बैडकलां में कभी भी नहीं रही। न ही ग्राम रामावास में सायला के नाम से राशन कार्ड, चुनाव परिचय पत्र,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

भामाशाह कार्ड, मूल निवासी प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड बने हुए है। न ही वोटर लिस्ट में इसका नाम है। सायला ग्राम रामावास की मूल निवासी ही नहीं रही न ही कभी ग्राम रामावास एवं बैडकलां में रही। न ही कभी मौके पर कब्जा काश्त रहा। सायला आउट ऑफ पजेशन है। इसलिये यह कहना कतई गलत है कि 1/2 हिस्सा की सायला मालिक है। इसलिये भी सायला का प्रा.पत्र काबिल खारिज के है, जो खर्चे खारिज फरमावें। प्रार्थना–पत्र के पेरा संख्या 4 का जबाब है कि इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन होने से अस्वीकार करते है। केवल मात्र सायला शान्ति देवी वारिस होने से ही नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया जो गलत है। रोंग एन्ट्री है मौके पर उक्त आराजी की कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। गैरसायल सरजूदेवी के पिता श्री भोलाराम ने अपने जीवन–काल में उक्त आराजी की कृषि भूमि का 1/2 हिस्से की कीमत मृत्यु की कुछ समय पूर्व ही सायला को अदा कर दी थी। और यह कहा था कि मेरे सौ वर्ष पहुंचने के बाद आप सायला शान्ति देवी का उक्त आराजी की कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं होगा। क्योंकि आपको इसकी कीमत के बराबर नकद राशि अदा कर दी है। और यह सम्पूर्ण कृषि आराजी गैरसायल सरजूदेवी के नाम की होगी। और इसका ही हक हिस्सा मालिकाना अधिकार होगा। सायला शान्तिदेवी का किसी प्रकार से हक नहीं होगा। स्वर्गीय भोलाराम की मृत्यु उपरान्त सायला शान्तिदेवी कभी भी रामावास व बैड़कलां नहीं आई न ही सेवा चाकरी की न ही मोडी देवी का भरण–पोषण किया। स्वर्गीय मोडी देवी के जीवन–काल में इसकी सेवा चाकरी भरण–पोषण देख–रेख ईलाज का खर्चा एवं सारा कार्य गैरसायल सरजू देवी एवं इसके जायन्दा पुत्रों ने वहन किया था। और मोडी देवी के सौ वर्ष पहुंचने पर सारा दाह संस्कार, पिण्डदान, बाहरवा का खर्चा गैरसायल सरजूदेवी सरजूदेवी ने वहन किया था। और प्रार्थना–पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी की कृषि भूमि पर गैरसायलान ही मौके पर काबिज है। और शान्ति पूर्वक काश्त करते है। एवं बिना किसी रोक टोक के मालिकाना अधिकार के रूप में उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। सायला शान्ति देवी की शादी करने के बाद से लेकर आज तक कभी भी ग्राम बैडकलां व रामावास नहीं आई न ही कब्जा काश्त है। न ही कोई हक हिस्सा व अधिकार है। केवल मात्र गैरसायलान की उक्त सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार की कृषि भूमि को हड़पने की नियत से यह बंटवाडा का दावा व प्रार्थना–पत्र पेश किया। केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर मालिकाना अधिकार नहीं होता है। इसलिये किसी भी तरह से बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाने के अधिकारी नहीं है। न ही [illegible] किया जा सकता है। सायला ने बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों पर यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो काबिल खारिज के है। जो खर्चे खारिज फरमावें। प्रार्थना–पत्र के पेरा संख्या 5 का जबाब है कि इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन होने से गैरसायलान नामंजूर एवं अस्वीकार करते है। सायला शान्तिदेवी पिछले करीबन 60–65 वर्षो से जालना महाराष्ट्र में रहती है। और अभी वर्तमान में 80–80 वर्ष की वृद्धावस्था

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

में है। चलने फिरने में असमर्थ है, जो यह कहना कतई गलत है कि दिनांक 28.09.2013 को बैंक से ऋण लेने हेतु ग्राम बैडकलां आई हो और सहमति देने एवं बंटवाडा करने का कहा तो सारे तथ्य बनावटी एवं आधारहीन तथ्य प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की गरज से लिखे है। सायला को यह भी पता नहीं है कि उक्त आराजी की कृषि भूमि कहां पर किन पडौसों के बीच इसकी कोई सायला को जानकारी नहीं है। केवल मात्र गैरसायलान के मालिकाना अधिकार की कृषि भूमि सायला के नाम की रोंग एन्ट्री के आधार पर हड़प करने के लिए आधारहीन एवं बनावटी तथ्यों पर प्रार्थना-पत्र पेश किया है, जो कानूनी रूप से मेन्टीनेबल नहीं है, काबिल खारिज के है, जो मय खर्चे खारिज फरमावें। प्रार्थना-पत्र के पेरा संख्या 6 का जबाब है कि इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन होने से नामंजूर एवं अस्वीकार करते है। प्रार्थना-पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में सायला को कोई हक हिस्सा व मालिकाना अधिकार नहीं है, और आउट ऑफ पजेशन है। केवल मात्र सायला का स्वर्गीय भोलाराम के फौत होने पर रोंग एण्ट्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो गया। जो गलत एवं रोंग एन्ट्री है। रोंग एन्ट्री के आधार पर कानूनी रूप से किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जब सायला का कोई हक अधिकार नहीं है, तो बाई मिट्स एण्ड बाउण्ट्स के बंटवाडा करवाने का कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं है। न ही सायला ने काई मौके पर नजरी नक्शा कब्जा बाबत बनाकर पेश किया। इससे स्पष्ट साबित है कि मौके पर कब्जा नहीं है इसलिए गैरसायलान खातेदार काश्तकार है, इनके विरूद्ध विभाजन करवाने एवं बैचान हस्तान्तरण, बक्सीस करने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। न ही गैरसायलान के विरूद्ध किसी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। जब मौके पर सायला का कब्जा ही नहीं है। न कभी कब्जा रहा है। क्योंकि 60-65 वर्षों से जालना महाराष्ट्र रहती है। अभी वर्तमान में 80-85 वर्ष की अवस्था है। चलने फिरने में असमर्थ है, जो सायला का प्रार्थना-पत्र के पेरा संख्या 1 में एडमिशन है। इससे भी स्पष्ट है कि सायला का मौके पर कब्जा नहीं है, तो अपने अधिकारों से महरूम रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिये सायला ने गैरसायलान के मालिकाना अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि हड़पने की नियत से आधारहीन तथ्यों का उल्लेख करके अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र पेश किया है। जो कानूनी रूप से मेन्टीनेबल नहीं है, काबिल खारिज के है। जो मय खर्चे खारिज फरमावें। प्रार्थना-पत्र के पेरा संख्या 7 का जबाब है कि इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन होने से गैरसायलान नामंजूर एवं अस्वीकार करते है। जब सायला का मौके पर कब्जा ही नहीं है। तो बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जब सायला को जालना महाराष्ट्र में बैठे-बैठे को काई अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है, न ही सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में है। बल्कि तीनों गैरसायलान के हक में पूर्णतया साबित है। वर्तमान में मौके पर गैरसायलान का कब्जा काश्त है। स्वर्गीय भोलाराम व स्वर्गीय श्रीमति मोडी देवी की इनके जीवन-काल में सेवा चाकरी गैरसायलान एवं इसकी माता

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

सरजूदेवी ने ही की थी और इनके भरण पोषण बिमारी और सो वर्ष पहुंचने पर दोनों के दाह संस्कार–पिण्डदान व हरिद्वार में पूजा विसर्जन व गंगा प्रसादी का सारा खर्चा गैरसायलान ने ही वहन किया था। और इन दोनों ने अपने जीवन काल में उक्त आराजी की कृषि भूमि गैरसायलान एवं इसकी माता सरजूदेवी को मालिकाना अधिकार चल एवं अचल सम्पत्ति पर सुपुर्द करने के बाद सौ वर्ष पहुंच थे। तब से लेकर आज तक गैरसायलान शान्ति पूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। इसलिये भी सायलान का प्रार्थना–पत्र कानूनी रूप से मेन्टीनेबल नहीं है। काबिल खारिज के है, जो मय खर्चे खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एंव आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** वादग्रस्त आराजी अविभाजित संयुक्त खातेदारी की है जिसमें एक सहखातेदार द्वारा अन्य सहखातेदार के विरूद्ध वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। जमाबंदी संवत् 2066–69 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 सह–खातेदार है। चुंकि यह मान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सह–खातेदार का अविभाजित आराजी के प्रत्येक हिस्से पर हक–अधिकार निहित होता है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम दृष्टया मामला केवल प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः यह बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होता।
2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं हुआ है, साथ ही अविभाजित भूमि की दशा में प्रत्येक सह–खातेदार के हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना माना जाता है, केवल एक सह–खातेदार के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होना नहीं माना जा सकता है। अतः यह बिन्दू भी वादीया/प्रार्थीया के विरूद्ध साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध साबित हुए है। साथ ही वादीया/प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार हो कि अगर प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। वादग्रस्त आराजी अविभाजित सह–खातेदारी भूमि है अतः केवल वादीया को ही अपूरणीय क्षति होने के कथन [illegible] माना जा सकता। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीया के विरूद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम अभिमत है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होते है, अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित रहेगा।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/वादीया अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीया के पक्ष में भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 22/09/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner